न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 01/2024
दायर दिनांक : 05/01/2024
निर्णय दिनांक : 07/01/2024

उनवान

1. कालूराम पिता जवेरा जाट निवासी कालाजी का खेड़ा मजरा जाशमा तह. भूपालसागर — **प्रार्थिया**

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर — **अप्रार्थीगण**

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. बालेन्दु कोठारी, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थीया की और से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि ग्राम जाशमा तहसील भूपालसागर में खाता नंबर 138 में आराजी सं. 1020, 1234, 1349, 1352, 1353, 1355, 1361, 1376, 1377, 1619, 3483, 3553, 4316, 4318, 6363/1361, 6364/1349 किता 16 रकबा 9.77 हैक्टेयर स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम पर कालूराम पिता जवेरा जाट के नाम से खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता जवेरा जी के नाम पर गलत अंकित है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम जवेराजी है। इस प्रकार सहवन से राजस्व रिकार्ड में जवेरा जी के जबेरा जी गलत दर्ज हो गया है जिसको शुद्ध किया जाकर जवेरा जी अंकित किया जाना आवश्यक है चूंकि यह लिपिकीय अक्षर से संबंधित त्रुटि है जिसको सुधारने का न्यायालय को अधिकार है। पटवारी हल्का को उक्त त्रुटि सुधारने हेतु कहा तो उन्होने श्रीमान के न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जैरबहस जमीन जो का[illegible] जबेरा जी जाट के नाम पर गलत अंकित है को दुरूस्त किया जाकर कालूराम पिता जवाहरलाल [illegible] नाम पर अंकित किए जाने बाबत तहसीलदार, भूपालसागर को आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:22:27 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये बाद सम्मन तामील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी श्री कालूराम पिता जबेरा के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसा[गर]

प्रार्थना पत्र की मजमे आम में जांच की तो पाया कि खातेदार कालूराम के पिता का नाम जवाहरलाल है। हम कालूराम पिता जवाहरलाल के नाम से पुकारते है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, प्री यूनिवर्सिटी एक्जाम पास की प्रतिलिपि, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, सरपंच, ग्राम पंचायत, जाशमा द्वारा जारी लेटरपेड़ पर कालूराम पिता जवाहरलाल दर्ज है, रिपोर्ट के साथ दस्तावेजात की प्रतियां संलग्न की है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों, अप्रार्थी के जवाब एवं वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जाशमा तहसील भूपालसागर में खाता नंबर 138 में आराजी सं. 1020, 1234, 1349, 1352, 1353, 1355, 1361, 1376, 1377, 1619, 3483, 3553, 4316, 4318, 6363/1361, 6364/1349 किता 16 रकबा 9.77 हैक्टेयर में कालूराम पिता जबेरा के बजाय कालूराम पिता जवाहरलाल दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:22:27 IST
Reason: SelfAttested